CHAPTER 7

Corporal Punishment in Institutions

अध्याय 7

संस्थानों में शारीरिक दंड (कॉरपोरल पनिशमेंट)

कानून जानिए, सुरक्षित रहिए

➢ Introduction

Imagine sitting in your classroom, trying hard to solve a difficult maths problem. The teacher suddenly gets angry because you cannot answer quickly. He grabs a wooden ruler and hits your knuckles hard, leaving red marks that burn for hours. During assembly, another teacher pulls your ear so roughly that tears come to your eyes. Everyone sees but stays silent, scared of getting punished next. These are examples of **corporal punishment** - when teachers, hostel wardens, or coaches hurt children physically to "discipline" them.

The **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act)**, and **Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023** clearly prohibits any form of physical punishment in schools, coaching centers, hostels, and sports academies across Rajasthan. **Corporal punishment** means beating, slapping, pinching, kicking, hitting with objects, pulling hair, or any physical hurt given by adults in authority. The law says **ZERO corporal punishment** is allowed - not even "small" beatings.

RSLSA (Rajasthan State Legal Services Authority) and **DLSA** (District Legal Services Authority) provide completely free legal help, counseling, and protection to children facing violence from teachers or institutional authorities. This chapter explains why corporal punishment destroys childhood and how laws protect your right to **dignity and safety** in every learning environment.

➢ What do you mean by Corporal Punishment?

Corporal Punishment means punishment given to child to discipline or control behavior.

➢ परिचय

कल्पना करो कि आप अपनी कक्षा में बैठकर एक कठिन गणित का सवाल हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। लेकिन शिक्षक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आप तुरंत जवाब नहीं दे पाते। वह लकड़ी की स्केल उठाकर आपकी उंगलियों के पोरों पर जोर से मार देता है, जिससे लाल निशान पड़ जाते हैं और घंटों तक जलन होती रहती है। सभा (असेंबली) के दौरान दूसरा शिक्षक आपका कान इतनी जोर से खींचता है कि आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। सब देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता—क्योंकि सबको डर रहता है कि अगला नंबर उनका न आ जाए।

ये शारीरिक दंड (कॉरपोरल पनिशमेंट) के उदाहरण हैं—जब शिक्षक, हॉस्टल वार्डन, कोच या किसी संस्थान का जिम्मेदार व्यक्ति "अनुशासन" के नाम पर बच्चों को शारीरिक रूप से चोट पहुँचाते है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act), निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) राजस्थान में स्कूलों, कोचिंग सेंटरों, हॉस्टलों और खेल अकादमियों में बच्चों पर किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं।

शारीरिक दंड का मतलब है—मारना, थप्पड़ मारना, चुटकी काटना, लात मारना, किसी वस्तु से पीटना, बाल खींचना, या किसी भी प्रकार का शारीरिक दर्द देना। कानून साफ कहता है: शारीरिक दंड बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है— यहाँ तक कि "छोटी" मार भी नहीं।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) शिक्षक या किसी संस्थान द्वारा हिंसा झेल रहे बच्चों को पूरी तरह निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श (काउंसलिंग) और सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। यह अध्याय बताता है कि शारीरिक दंड कैसे बचपन को तोड़ देता है और कानून हर शैक्षणिक वातावरण में आपके सम्मान और सुरक्षा के अधिकार की रक्षा कैसे करता है।

➢ शारीरिक दंड (कॉरपोरल पनिशमेंट) से क्या मतलब है?

शारीरिक दंड (कॉरपोरल पनिशमेंट) का मतलब है किसी बच्चे को अनुशासित करने या उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के नाम पर दिया गया शारीरिक दंड।

➢ शारीरिक दंड बच्चों और परिवारों को कैसे प्रभावित करता है?

➢ **How Corporal Punishment affects Children and Families?**

- Corporal punishment feels like betrayal from the adults you trust most. One moment you sit eagerly learning Science chapter about plants. The next moment a ruler cracks across your palms, leaving swollen fingers that make writing painful for days. The physical pain hurts, but the **shame** cuts deeper. Everyone watches silently as you try not to cry. You feel small, worthless, and afraid in the place meant for growing strong.

➢ **How Does Corporal Punishment affect Studies?**

- Teachers may justify beatings saying "it builds discipline". But science proves the opposite. When teachers hit children, your brain releases stress chemicals that damage memory centers. You forget multiplication tables you memorized perfectly last week. Concentration breaks into pieces. Exam marks tumble down. The child who loved drawing diagrams now shakes with fear holding a pencil. School becomes a prison, not a temple of learning.

➢ **How does it affect daily life?**

- Daily life changes completely after corporal punishment. You wake up with stomach knots dreading school. Lunch tastes like sand. Friends distance themselves fearing teacher anger will turn toward them. You lie about red marks on arms saying "I fell from stairs." Sports practice brings panic remembering coach beatings. Creative writing that flowed easily now stops completely. Your bright personality hides behind fearful silence.
- The community loses tomorrow's doctors, engineers, artists when corporal punishment kills natural curiosity and learning joy.

- शारीरिक दंड ऐसा लगता है जैसे उन बड़ों ने धोखा दे दिया हो, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। एक पल आप विज्ञान की किताब में पौधों का अध्याय उत्साह से पढ़ रहे होते हो। अगले ही पल आपकी हथेली पर स्केल की तेज़ चोट पड़ती है और उंगलियाँ सूज जाती हैं, जिससे कई दिनों तक लिखना दर्दनाक हो जाता है। शारीरिक दर्द तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा घाव शर्म और अपमान का होता है। सबके सामने आप रोने से खुद को रोकते हो। आपको लगता है कि आप छोटे, बेकार और डरपोक हो— और स्कूल जहाँ आपको मजबूत बनना था, वही जगह आपको डराने लगती है।

➢ **शारीरिक दंड पढ़ाई को कैसे प्रभावित करता है?**

- कई शिक्षक यह कहकर मारते हैं कि "मारने से अनुशासन आता है।" लेकिन सच इसके उल्टा है। विज्ञान यह साबित करता है कि जब शिक्षक बच्चों को मारते हैं, तो दिमाग में तनाव पैदा करने वाले रसायन (Stress Chemicals) निकलते हैं, जो याददाश्त से जुड़े हिस्सों को नुकसान पहुँचाते हैं। आप पिछले हफ्ते याद की हुई पहाड़े भूलने लगते हो। ध्यान भटक जाता है। परीक्षा में नंबर गिरने लगते हैं, जिसे आप पहले खुशी से बनाते थे, वही डायग्राम अब पेंसिल पकड़ते ही डराने लगते हैं। स्कूल मंदिर नहीं, जेल जैसा लगने लगता है।

➢ **यह दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है?**

- शारीरिक दंड के बाद आपकी पूरी दिनचर्या बदल जाती है। आप सुबह उठते हो तो पेट में गाँठ सी लगती है, स्कूल जाने का डर होने लगता है। खाना रेत जैसा लगता है। दोस्त दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं शिक्षक का गुस्सा उनके ऊपर न निकल जाए। आप अपने हाथों के लाल निशानों के बारे में झूठ बोलते हो: "सीढ़ियों से गिर गया था।" खेल अभ्यास में भी घबराहट होने लगती है, क्योंकि कोच की मार याद आ जाती है। जो रचनात्मक लेखन (Creative Writing) पहले आसानी से निकलता था, वह रुक जाता है। आपकी चमकती हुई पर्सनैलिटी डरभरी चुप्पी में छिप जाती है।
- समाज भी नुकसान झेलता है, क्योंकि जब शारीरिक दंड बच्चों की जिज्ञासा और सीखने की खुशी मार देता है, तो आने वाले कल के डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार भी खो जाते हैं।

- **The hidden damage lasts forever.** Children beaten in Class 5 carry invisible scars into marriage, parenting, and careers. They struggle trusting bosses, doctors, or police. Anxiety attacks strike randomly years later. They either become extra-fearful adults or repeat violence cycles hurting their own children. One teacher's moment of anger creates decades of pain across generations.

➢ What kind of Corporal Punishment given in various Institutions?

- **Schools:** In schools we can see maximum corporal punishment cases. Overworked teachers facing 60 students per class lose patience easily. Late homework equals cane beatings. Talking during assembly brings public ear-pulling demonstrations. Exam failures trigger group punishments where entire rows get slapped. Rajasthan desert heat makes teachers irritable; children become punching bags for frustration.
- **Private coaching centers** :Compete brutally for Class 10 board exam results. Centers promise "100% results" but deliver beatings when marks disappoint parents. Late arrivals face slipper beatings at center gates. Phone usage during class brings public humiliation with belt whipping. Group study rooms become torture chambers where "slow learners" get daily ruler treatment on knuckles and calves.
- **Hostels and residential schools:** It create perfect environments for unchecked violence. Far from parental eyes, wardens rule like kings. Nighttime room checks become beating sessions. Missing morning PT brings 20 pushups with warden kicking backs. Food complaints earn spoon-beating punishment. Children write home letters claiming "everything fine" while hiding fresh bruises under long sleeves.

- इसका छुपा हुआ असर हमेशा बना रहता है। कक्षा 5 में मार झेलने वाला बच्चा शादी, नौकरी और पालन-पोषण तक में अदृश्य घाव लेकर चलता है। उसे बॉस, डॉक्टर या पुलिस पर भरोसा करने में कठिनाई होती है। वर्षों बाद भी अचानक एंग्जायटी अटैक आ सकते हैं। कभी बच्चा बहुत डरा हुआ वयस्क बन जाता है, या कभी वही हिंसा आगे अपने बच्चों पर दोहराने लगता है। एक शिक्षक का कुछ मिनट का गुस्सा—पीढ़ियों तक दर्द बन सकता है।

➢ विभिन्न संस्थानों में शारीरिक दंड किस प्रकार दिया जाता है?

- **स्कूल:** स्कूलों में शारीरिक दंड के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। जब एक शिक्षक को 60 बच्चों की कक्षा संभालनी पड़ती है, तो धैर्य जल्दी टूट जाता है। होमवर्क देर से किया तो डंडे से मार, असेंबली में बात की तो सबके सामने कान खींचना, परीक्षा में कम नंबर तो पूरी लाईन को थप्पड़ पडना । राजस्थान की तेज़ गर्मी और थकान कई शिक्षकों को चिड़चिड़ा बना देती है और बच्चे उनकी झुंझलाहट का निशाना बन जाते हैं।
- **प्राइवेट कोचिंग सेंटर:** कक्षा 10 के बोर्ड रिजल्ट की दौड़ में कोचिंग सेंटर "100% रिजल्ट" का वादा करते हैं, लेकिन नंबर कम आए तो बच्चों पर मारपीट करते हैं। देर से आए तो सेंटर के गेट पर चप्पल से मार, क्लास में फोन निकाला तो बेल्ट से सार्वजनिक अपमान, "धीमे सीखने वाले" बच्चों को रोज़ पोरों पर स्केल मारना।
- **हॉस्टल और रेसिडेंशियल स्कूल:** हॉस्टल और आवासीय स्कूलों में माता-पिता की निगरानी नहीं होती, इसलिए वार्डन कई बार खुद को राजा समझने लगते हैं। रात को चेकिंग तो मारपीट। सुबह PT मिस की तो 20 पुशअप, फिर पीछे से लात, खाने की शिकायत तो चम्मच से मार। बच्चे घर फोन करके कहते हैं "सब ठीक है", लेकिन लंबी बाँहों के अंदर ताजा चोट छिपी होती है।

- **Sports academies and NCC camps** misuse "tough training" excuse for brutality. Coaches hit thighs with hockey sticks claiming, "builds stamina." Football misses bring boot kicks to calves. NCC drill failures trigger rifle butt slaps. Children love sports but quit permanently after repeated injury violence disguised as "character building.”

➢ Types of Corporal Punishment Happening Daily

1. Beating with Objects (Most Common)

Teachers use rulers, canes, wooden pointers, slippers, belts across palms, backs, legs. Injuries range from swelling and bruising to fractured fingers requiring plaster. Children hide injuries fearing parent-teacher conflicts.

2. Slapping and Punching

Open-hand slaps across faces during class. Closed-fist punches to stomach claiming "no marks left." Pinching earlobes, cheeks, underarms until bruising appears. Teachers target "safe" body areas avoiding visible injury while causing internal pain and bleeding.

3. Hair Pulling and Head Slapping

Grabbing hair lifting children from seats. Repeated head slaps causing dizziness, headaches, temporary unconsciousness. Scalp tearing, hair loss from roots. Children develop permanent scalp sensitivity and neck pain.

4. Kicking and Knee Striking

Kicking shins, thighs, stomach during punishment. Knee strikes to thighs creating deep painful bruises. Teachers force "frog jumps" then kick fallen children. Football coaches specialize knee-to-thigh punishment claiming "toughens muscles."

- **खेल अकादमियाँ और NCC कैंप:** खेल प्रशिक्षण और “कठोर अभ्यास” के नाम पर भी हिंसा होती है। हॉकी स्टिक से जांघ पर मारकर कहना “स्टैमिना बढ़ेगा”, फुटबॉल मिस तो पैर की पिंडली पर लात, NCC ड्रिल गलत तो राइफल के कुंदे से थप्पड़। बच्चे खेल में उत्साह रखते लेकिन बार-बार हिंसा झेलकर हमेशा के लिए खेल छोड़ देते हैं।

➢ रोज़ाना होने वाले शारीरिक दंड के प्रकार

1. वस्तुओं से मारना (सबसे आम)

शिक्षक स्केल, छड़ी, लकड़ी का पॉइंटर, चप्पल, बेल्ट आदि से हथेलियों, पीठ और पैरों पर मारते हैं। चोटें सूजन और नील से लेकर उंगलियाँ टूटने तक हो सकती हैं। बच्चे घरवालों के डर से चोट छिपाते हैं।

2. थप्पड़ और घूंसे

कक्षा में चेहरे पर खुले हाथ का थप्पड़, पेट पर घूंसा मारकर कहना “अब तो नंबर भी नहीं रहे।” कान, गाल, बगल पर चुटकी काटना—जिससे निशान पड़ जाते हैं। कई बार शिक्षक शरीर के ऐसे हिस्सों पर मारते हैं जहाँ चोट दिखे नहीं, लेकिन अंदरूनी दर्द और खून बहना हो सकता है।

3. बाल खींचना और सिर पर थप्पड़

बाल पकड़कर सीट से उठाना, सिर पर बार-बार थप्पड़ से चक्कर, सिरदर्द और बेहोशी हो सकती है, बाल जड़ से टूट सकते हैं। बाद में गर्दन में लगातार दर्द बना रहता है।

4. लात मारना और घुटने से मारना

पिंडली, जांघ और पेट पर लात, घुटने से जांघ पर वार से गहरे नीले निशान पड़ जाते हैं। “मेंढक कूद” (Frog Jumps) करवाकर गिरने पर फिर लात मारना। फुटबॉल कोच खास तौर पर घुटने से मारकर “टफनेस” दिखाते हैं।

5. Forced Physical Strain

Making children stand in sunlight 2 hours holding bricks. Wall-sitting till leg muscles tear. 200 pushups continuously till vomiting. Carrying 20-litre water cans across playgrounds. Children collapse from dehydration, heat stroke, muscle damage.

6. Public Humiliation Violence

Making children run wearing cones on head. Tie bricks to waists during assembly. Beat buttocks publicly using slippers before laughing classmates. Force kneel on chalk/gravel causing knee injuries. Maximum psychological damage through public shame.

➢ **What are the warning Signs and how to Stay Safe?**

- **Spot these danger signs immediately:**
  - Teachers keeping wooden rulers, canes, slippers visible on desks intentionally
  - Classmates with frequent "fall injuries" or wrist bandages
  - Children suddenly hating school subjects they previously loved
  - Unexplained stomach pains, headaches before school time daily
  - Sleeves pulled down hiding arm marks, long pants hiding leg bruises
  - Fearful body language around specific teachers or during specific subjects
- **How to stay safe:**
  - Scream loudly attracting attention from neighboring classrooms
  - Protect head, stomach, private parts curling into ball position
  - Run toward principal office or main gate immediately

5. जबरन शारीरिक मेहनत

2 घंटे धूप में ईंट पकड़कर खड़ा रखना, दीवार से सटाकर बैठाना। लगातार 200 पुशअप जब तक उल्टी न हो जाए, 20 लीटर पानी के डिब्बे मैदान में उठवाना। बच्चे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और मांसपेशियों की चोट से गिर सकते हैं।

6. सार्वजनिक अपमान के साथ हिंसा

धीमे बच्चों को सिर पर कोन पहनाकर मैदान में दौड़ाना, असेंबली में कमर पर ईंट बाँधकर खड़ा करना, सबके सामने चप्पल से मारना, चॉक/कंकड़ पर घुटने टेकना। इसमें सबसे ज्यादा मानसिक चोट लगती है, क्योंकि अपमान सार्वजनिक होता है।

➢ चेतावनी संकेत क्या हैं और सुरक्षित कैसे रहें?

- **इन खतरनाक संकेतों को तुरंत पहचानो:**
  - o शिक्षक डेस्क पर जानबूझकर स्केल/छड़ी/चप्पल रखते हो
  - o बच्चों के हाथ पर पट्टी, बार-बार "गिरने" की चोट
  - o बच्चा उस विषय से अचानक डरने लगे जिसे वह पहले पसंद करता था
  - o स्कूल जाने से पहले रोज़ पेट दर्द/सिरदर्द
  - o गर्मी में भी बाँह ढककर रखना, चोट छिपाने के लिए
  - o किसी विशेष शिक्षक के आसपास डर भरी बॉडी लैंग्वेज
- सुरक्षित रहने के उपाय:
  - o जोर से चीखो ताकि पास की कक्षाओं का ध्यान जाए
  - o सिर, पेट और निजी अंगों की सुरक्षा के लिए "गेंद की तरह" सिकुड़ जाओ
  - o तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस या मुख्य गेट की ओर भागो
  - o किसी भी उपलब्ध फोन से माता-पिता को कॉल करो और शिक्षक का नाम बताओ
  - o चोट की फोटो तुरंत लो (तारीख/समय के साथ)
  - o कभी चुप मत रहो— चुप्पी का मतलब है कि शिक्षक इसे जारी रखेंगे

- o Call parents from any available phone describing teacher name
- o Take injury photos immediately showing date, time stamps
- o Never stay silent - silence equals permission for teachers to continue

➢ **Is Corporal Punishment punishable?**

Yes, RTE Act and JJ Act Completely Ban Corporal Punishment

India has strong laws to protect children from corporal punishment.

a) **Right to Education Act, 2009 (RTE Act)**

Section 17 of the RTE Act prohibits corporal punishment and mental harassment in schools.

No child can be physically or mentally punished in any school.

Whoever contravening provisions can lead to disciplinary proceeding against him or her under service rules

b) **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015**

Section 82: Corporal punishment is a punishable offence.

Any person in charge of a child who causes physical or mental suffering can be punished.

c) **Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)**

Acts causing hurt, assault, or cruelty to children are punishable.

Severe punishment can lead to imprisonment and fine.

d) **UN Convention on the Rights of the Child**

India follows this international law.

It states that children have the right to dignity, safety, and protection from violence.

e) **Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights (RSCPCR)**

➢ क्या शारीरिक दंड दंडनीय है?

हाँ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 और JJ Act शारीरिक दंड को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हैं।

भारत में बच्चों को शारीरिक दंड से बचाने के लिए मजबूत कानून हैं।

a) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009

धारा 17: के अनुसार स्कूल में शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल में शारीरिक या मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता।

इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सेवा नियमों के अनुसार विभागीय कार्रवाई (Disciplinary Proceedings) हो सकती है।

b) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act)

धारा 82: शारीरिक दंड दंडनीय अपराध है।

कोई भी व्यक्ति जो बच्चे की देखरेख/जिम्मेदारी में है और शारीरिक या मानसिक पीड़ा देता है, उसे सजा हो सकती है।

c) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)

बच्चे को चोट पहुँचाने, हमला करने या क्रूरता करने वाले कृत्य दंडनीय हैं।

गंभीर मामलों में कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

d) बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Rights of the Child)

भारत इस अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करता है। इसमें बच्चों के सम्मान, सुरक्षा और हिंसा से बचाव का अधिकार मान्य है।

e) राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (RSCPCR)

राजस्थान में एक विशेष संस्था राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

Rajasthan has a special body called the Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights. Its job is to protect the rights of children in the state. It watches over schools, children's institutions and makes sure laws against abuse and corporal punishment are followed.

➢ **How does RSLSA Protect Against Corporal Punishment?**

1. **Legal Awareness & Literacy Camps**

   RSLSA regularly organizes legal literacy and awareness camps across the state to educate communities about rights, laws and protections available to vulnerable groups, including children. These camps help spread awareness about legal protections and remedies available when children face violence or abuse.

2. **Free Legal Aid for Children and Families**

   Under the Legal Services Authorities Act, 1987, RSLSA provides free legal assistance to eligible people — including children and women — so they can seek justice without cost barriers. This includes representation, advice, and legal support if a child suffers harm or unlawful punishment.

3. **Inclusion of Child Rights in Action Plans**

   District Legal Services Authorities (DLSAs) — operating under RSLSA; include in their action plans awareness on child protection laws such as the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and campaigns related to children's rights. These plans often cover topics like violence prevention, child safety, and statutory protections.

➢ **How Children Can Get Help?**

If teacher beats you or threatens beating:

- **FIRST STEP - Document everything immediately**

(RSCPCR) है, जिसका काम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह स्कूलों व बाल संस्थानों पर निगरानी रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि शोषण व शारीरिक दंड के विरुद्ध कानूनों का पालन हो।

➢ शारीरिक दंड से RSLSA कैसे सुरक्षा करता है?

1. विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर

RSLSA राज्यभर में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित करता है ताकि समुदायों को बच्चों के अधिकार, कानून और सुरक्षा उपायों की जानकारी हो सके।

2. बाल संरक्षण से जुड़े प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम

RSLSA ने राज्य-स्तरीय कार्यक्रम और संगोष्ठियाँ आयोजित की हैं, जिनमें बच्चों के विरुद्ध हिंसा पर बाल संरक्षण प्रणाली की प्रतिक्रिया जैसे विषय शामिल होते हैं। इससे शारीरिक दंड जैसी हानिकारक प्रथाओं को रोकने में मदद मिलती है।

3. बच्चों और परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत RSLSA योग्य व्यक्तियों—विशेषकर बच्चों और महिलाओं—को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है, ताकि वे बिना आर्थिक बाधा के न्याय प्राप्त कर सकें। इसमें कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व और सहायता शामिल है।

Take injury photos showing date/time. Write teacher name, class, period, reason given. Preserve torn uniform, broken items as evidence.

- **SECOND STEP - Call 15100 (TOLL FREE)**
  RSLSA Child Rights Helpline connects you to protection team. Give exact school name, district, teacher details. **You face ZERO punishment for complaining.**
- **THIRD STEP - Show parents all evidence**
  Share photos, witness statements, call records. Insist parents accompany you to police station OR DLSA office same day. **Legal aid lawyers provided free.**
- **FOURTH STEP - Medical examination**
  Visit government hospital for injury certificate (Medico-Legal Report). F. Doctor documents exact injury nature, cause, severity required for court compensation claims.

➢ Conclusion

- Corporal punishment destroys childhood curiosity, damages family trust, kills passion for learning.
- RTE Act Section 17 declares every Rajasthan school beating-free zone.
- You deserve pain-free education. Your growing brain needs encouragement, not injury. Your classroom should build confidence, not fear. Report every beating, every threat. Protect younger siblings, cousins, neighbors.
- Call 15100 immediately. Visit District Legal Services Authority.
- You carry Rajasthan's future in your schoolbag. Protect your right to dignity, safety, fearless learning.

4. कार्य योजनाओं में बाल अधिकार शामिल करना

RSLSA के अधीन काम करने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) अपनी कार्ययोजनाओं में JJ Act, 2015 जैसे बाल संरक्षण कानूनों और बाल अधिकार अभियानों को शामिल करते हैं। इनमें हिंसा रोकथाम, बाल सुरक्षा और वैधानिक अधिकारों से जुड़े विषय शामिल होते हैं।

➢ **बच्चे सहायता कैसे ले सकते हैं ?**

यदि कोई शिक्षक आपको मारता है या मारने की धमकी देता है, तो ये कदम अपनाओ:

- **पहला कदम—तुरंत सब कुछ दर्ज करो**

  चोट की फोटो लो (तारीख/समय सहित)। शिक्षक का नाम, कक्षा, पीरियड और "मारने का कारण" लिखो। फटी हुई यूनिफॉर्म या टूटी हुई चीजें सबूत के रूप में सुरक्षित रखो।

- **दूसरा कदम—15100 (टोल फ्री) पर कॉल करो**

  RSLSA बाल अधिकार हेल्पलाइन 15100 आपको सुरक्षा टीम से जोड़ती है। स्कूल का नाम, जिला और शिक्षक का पूरा विवरण दो। शिकायत करने पर आपको कोई सजा नहीं होगी।

- **तीसरा कदम—माता-पिता को सारे सबूत दिखाओ**

  फोटो, गवाह बच्चों के बयान, कॉल रिकॉर्ड—सब शेयर करो। माता-पिता से कहो कि वे उसी दिन आपके साथ पुलिस स्टेशन या DLSA कार्यालय जाएँ, जहाँ निःशुल्क विधिक सहायता और वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।

- **चौथा कदम—मेडिकल जांच कराओ**

  सरकारी अस्पताल जाओ और चोट का प्रमाण पत्र (Medico-Legal Report) बनवाओ। यह निःशुल्क सेवा है। डॉक्टर चोट का प्रकार, कारण और गंभीरता लिखते हैं, जो मुआवजा और न्यायालय प्रक्रिया में बहुत जरूरी होता है।

➢ **निष्कर्ष**

- शारीरिक दंड बचपन की जिज्ञासा को खत्म करता है, परिवार के भरोसे को तोड़ता है और सीखने के जुनून को मार देता है।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 17 यह घोषित करती है कि राजस्थान का हर स्कूल मार-रहित क्षेत्र (Beating-free Zone) होना चाहिए।

Emergency Contact Numbers

Service	Phone Number
Police Emergency	100, 112
Child Helpline	1098
RSLSA Child Rights Helpline	15100
Local DLSA Office	Ask your school or teacher

Choose reporting violence. Choose safe classrooms. Choose becoming tomorrow's leader unscared, unbroken.

15100 waits for your call. RSLSA lawyers are ready to fight. Justice belongs to brave children.

- आप दर्द-रहित शिक्षा के हकदार हो। आपका बढ़ता हुआ दिमाग प्रोत्साहन चाहता है, चोट नहीं। आपकी कक्षा आपको आत्मविश्वास देनी चाहिए, डर नहीं। हर मार, हर धमकी की रिपोर्ट करो। छोटे भाई-बहन, कजिन और पड़ोस के बच्चों को भी सुरक्षित रखो।
- 15100 पर तुरंत कॉल करो। अपने नजदीकी DLSA कार्यालय जाओ।
- आप अपने स्कूल बैग में राजस्थान का भविष्य उठाए हुए हो। अपने सम्मान, सुरक्षा और निर्भय शिक्षा के अधिकार की रक्षा करो।

आपातकालीन संपर्क नंबर

सेवा	फोन नंबर
पुलिस आपातकाल	100, 112
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
RSLSA बाल अधिकार हेल्पलाइन	15100
नजदीकी DLSA कार्यालय	अपने स्कूल/शिक्षक से पूछो

हिंसा की रिपोर्ट करना चुनो। सुरक्षित कक्षाएँ चुनो। कल का निर्भय, मजबूत नेता बनना चुनो।

15100 तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा है। RSLSA के वकील लड़ने के लिए तैयार हैं। न्याय बहादुर बच्चों का अधिकार है।